

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2674/2016/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट-प्रथम, वृत्त द्वितीय, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गणपति इन्फ्रा पावर लि.  
एफ-185, रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा  
उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा  
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29.06.2018

निर्णय


1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 260/अ.प्रा.-III/आरबीएटी/जयपुर/2015-16/एम में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन राजस्थान घट-प्रथम जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने दिनांक 30.11.2015 को वाहन संख्या HR 55 P 7323 ग्राम जाटावली के पास चौमू चंदवाजी रोड पर रोक कर चैकिंग की गयी। वाहन एवं माल प्रभारी श्री सानसुमा ब्रहमा ने वाहन कालाडेरा, जयपुर से ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) स्थित सूरजपुरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया के लिये माल एल्युमिनियम वायर रोड का किया जाना बताया। परिवहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। परिवहनित माल के साथ फार्म वेट-49 होना आवश्यक था किन्तु परिवहनित माल के साथ वेट-49 नहीं पेश नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 54 का उल्लघन मानते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारित अधिकार द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 54 के प्रावधानों का उल्लघन पाये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा माल एल्युमिनियम वायर रोड की घोषित कीमत 20,56,000/- रुपये पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रुपये 6,17,700/- का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त

लगातार.....2.



आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12.07.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
4. राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.07.2016 का खण्डन करते हुए कथन किया कि दिनांक 30.11.2015 को वाहन संख्या HR 55 P 7323 ग्राम जाटावली के पास चौमू चंदवाजी रोड पर चैकिंग करने पर वाहन एवं माल प्रभारी श्री सानसुमा ब्रहमा ने वाहन कालाडेरा, जयपुर से ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) स्थित सूरजपुरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया के लिये माल एल्युमिनियम वायर रोड का किया जाना बताया। जिसके परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट-49A होना आज्ञापक है। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वेट-49A प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों के अनुसार आप द्वारा माल कीमतन 20,59,000/- रुपये जांब वर्क के लिये नोएडा (उ.प्र.) भेजा जाना पाया गया है, जिसके साथ रा.मू.प.क. नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार घोषण प्रपत्र वेट 49ए का होना आवश्यक है, जो व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को अभियोजक अधिकारी को उक्त फार्म की प्रति प्रस्तुत की है, जिस पर दिनांक 19.12.2016 समय 8:24:41 Pm पर जारी होना अंकित है। प्रस्तुत वेट 49ए वाहन को निरूद्ध किए जाने के पश्चात् जारी किया गया है, जबकि घोषण पत्र नियमानुसार माल के डिस्पेच करने से पूर्व जारी होना जरूरी है। व्यवहारी का उक्त कृत्य आपकी पश्चात्वर्ती सोच का द्योतक है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा बिना विहित घोषण पत्र वेट 49ए के माल को डिस्पेच करना तथा वक्त चैकिंग माल परिवहन के साथ दिनांक 19.12.2015 समय 7:30pm पर वेट 49ए पेश नहीं करना राजस्थान रा.मू.प.क.अ. 2003 की धारा 76(2) सपठित रा.मू.प.क. नियम 2006 का नियम 54 का उल्लंघन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आपने आदेश दिनांक 12.07.2016 में अपास्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक अपने उक्त कथन के साथ विभाग/राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.07.2016 को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किए जाने का निवेदन किया गया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वाहन संख्या HR 55 P 7323 ग्राम जाटावली के पास चौमू चंदवाजी रोड पर रोक कर चैकिंग की गयी। वाहन एवं माल प्रभारी श्री सानसुमा




लगातार.....3.



ब्रहमा ने वाहन कालाडेरा, जयपुर से ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) स्थित सूरजपुरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया के लिये माल एल्युमिनियम वायर रोड का किया जाना बताया। परिवहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। उक्त माल जॉब वर्क के लिये परिवहनित किया जा रहा था। जॉब वर्क से संबधित समस्त दस्तावेज वाहन चैकिंग के दौरान प्रस्तुत कर दिये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.12.2015 में उक्त माल जो जॉब वर्क के लिये राज्य के बाहर नोएडा (उ.प्र.) में परिवहनित किया जाना पाया है। विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि उक्त माल का संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री या बिक्री हेतु स्टॉक ट्रांसफर/डिपो ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये जॉब वर्क हेतु इस परिवहनित माल के साथ वेट-49ए की कानूनी बाध्यता नहीं थी। अतः इस माल के लिये वेट-49A की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे विक्रय मानते हुए वेट-49 की अनिवार्यता मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अविधिक था। इस संबध में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट प्रथम, वृत्त-ए भिवाडी बनाम यूनिवर्सल अलाईज भिवाडी (2010) 28 टीयूडी 273 का हवाला दिया जिसमें राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यदि माल को राज्य के बाहर जोब वर्क हेतु प्रेषित करने की दशा में किसी प्रकार के घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं होना अभिनिर्धारित किया है। बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा लिखित जवाब के साथ वेट-49ए भर कर प्रस्तुत कर दिया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों की पालना कर दी गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण न्यायोचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित कर निर्धारण अधिकारी के शास्ति आदेश दिनांक 23.12.2015 को निरस्त करने में कोई त्रुटिकारित नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2016 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलीय आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान से नोएडा को एल्युमिनियम वायर रोड जॉब वर्क के लिये परिवहनित किया जा रहा था। उक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट-49A नहीं पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा कर




लगातार.....4.



योग्य माल को राज्य के बाहर बिना घोषणा प्रपत्र वेट 49ए के भेजे जाने को अधिनियम की धारा 76(2) व नियम 54 का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिनांक 23.12.2015 द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12.07.2016 में यह अभिनिर्धारित किया कि माल को राज्य के बाहर जोब वर्क के लिये परिवहनित किये जाने के लिये घोषणा प्रपत्र 49ए की विधिक बाध्यता नहीं थी। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12.07.2016 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।

8. वर्तमान प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि जॉब वर्क के लिये माल के राज्य से राज्य के बाहर परिवहनित किये जाने हेतु घोषणा प्रपत्र वेट 49ए आज्ञापक है या नहीं?
9. इस संबंध में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट प्रथम, वृत्त-ए भिवाडी बनाम यूनिवर्सल अलाईज भिवाडी (2010) 28 टीयूडी 273 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि माल को राज्य के बाहर जोब वर्क हेतु प्रेषित करने की दशा में किसी प्रकार के घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा एल्युमिनियम वायर रोड जॉब वर्क के लिये राज्य के बाहर नोएडा (उ.प्र.) प्रेषित किया जा रहा था। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार माल के जॉब वर्क हेतु परिवहनित किये जाने के लिये वेट 49ए की विधिक बाध्यता नहीं है। उक्त माल का संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री या बिक्री हेतु स्टॉक ट्रांसफर/डिपो ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये जॉब वर्क हेतु इस परिवहनित माल के साथ वेट-49A की कोई आवश्यकता नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट-49 की अनिवार्यता मानते हुए शास्ति का आरोपण किया जाना विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित कर निर्धारण अधिकारी के शास्ति आदेश दिनांक 23.12.2015 को निरस्त करने में कोई त्रुटिकारित नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2016 विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.07.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
10. परिणामस्वरूप विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 की पुष्टि की जाती है
11. निर्णय सुनाया गया।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य